Vol. 7, Issue 5, Feb 2018 ISSN 2249-894X

REVIEW OF RESEARCH

An International Multidisciplinary Peer Reviewed & Refereed Journal

Impact Factor: 5.2331

UGC Approved Journal No. 48514

Chief Editors
Dr. Ashok Yakkaldevi
Ecaterina Patrascu
Kamani Perera

Associate Editors
Dr. T. Manichander
Sanjeev Kumar Mishra

REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2018

महिलाओं के विरूद्ध क्रूरता संबंधी विभिन्न अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत

डॉ. मीना वागडे
सहायक प्राध्यापक शासकीय विधि महाविद्यालय देवास म.प्र.

प्रस्तावनाः

''यत्र नायुस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'' यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं और पुरूषों को समानता का अधिकार दिया है और सामाजिक व्यवस्था में भी महिलाओं को आदरणीय स्थान दिया गया है, लेकिन व्यवहारिक रूप में आज भी महिलाओं को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं है। उनके साथ अत्याचार किये जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है। सामाजिक उन्नति का प्रभाव समुचे समाज पर पड़ा है। बदलते समय के साथ महिलाएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, विज्ञान, कला, वाणिज्य, खेलकूद, उद्योग एवं राजनीति में शीर्ष पर है और पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है इतना ही नहीं कई क्षेत्रों में तो वह पुरूषों से भी आगे बढ़ गई हैं। इतना सबकुछ होते हुए भी वह समाज में, और घर की चारदीवारी में भी असुरक्षित हैं। उन्हें शारीरिक और हिंसक घटनाओं, जघन्य हत्या, दहेज हत्या आदि का शिकार होना पड़ता हैं। समय के साथ महिलाओं के प्रति इन अपराधों की संख्या में अनपेक्षित वृद्धि ही हुई हैं।

क्या महिलाओं के विरूद्ध होने वाले विभिन्न अपराध, क्रूरता है?

इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले सर्वप्रथम क्रूरता क्या हैं? यह जानना आवश्यक हैं। क्रूरता का अर्थ ''जीवन, अंग और स्वास्थ के प्रति खतरा'' क्रूरता किसी व्यक्ति द्वारा अन्य के साथ ऐसी शारीरिक मारपीट है जिसके कारण पीड़ित व्यक्ति का जीवन दयनीय हो जाए यह क्रूरता व्यक्ति का स्वभाव भी हो सकती हैं या किसी कार्य को करवाने के लिए दुष्प्रेरित करने हेतु भी की जा सकती है। क्रूरता का संबंध मानसिक आचरण से है इस आचरण के लिए कोई वास्तविक आशय होना आवश्यक नहीं है सामान्य रूप से क्रूरता साशय होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप बिना आशय के भी हो सकती हैं। क्रूरता के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की यातना व पीड़ा आती है

शारीरिक क्रूरता– क्रूरता के अंतर्गत शारीरिक चोट, मारपीट जिसमें साधारण एवं गंभीर चोट, बल प्रयोग आदि विभिन्न कार्य आते है जो स्वतंत्र रूप से भी अपराध हैं एवं जिनका प्रभाव शरीर पर स्पष्ट से दिखाई देता है।

मानसिक क्रूरता– मानसिक क्रूरता के अंतर्गत व्यक्ति के वह कार्य या आचरण सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनका भले ही प्रत्यक्ष रूप से शरीर पर प्रभाव न पड़े किंतु वह कार्य पीड़ित व्यक्ति की मानसिक विचारधारा को प्रभावित करके उसका सहज रूप से जीवन जीना कठिन बना देते है।

पति के निम्नलिखित कार्य पत्नि के प्रति क्रूरता है–

1. शारीरिक चोट, मारपीट
2. पति का अन्य महिला के साथ रहना
3. पति द्वारा पत्नि को दुराचरण का जीवन बीताने, जारकर्म के बाध्य करना
4. पति द्वारा पत्नि की सम्पत्ति का अन्तरण करना या उसका अपनी सम्पत्ति का उपयोग नहीं करने देना।
5. विधि द्वारा निर्धारित दाम्पत्य कर्त्तव्यों की घोर अवहेलना करना आदि।

क्रूरता के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए जहां दोषी को दंडित करने का प्रावधान हैं वहीं पति द्वारा पत्नि के विरूद्ध क्रूरता चाहे शारीरिक हो या मानसिक हिन्दु विवाह अधिनियम–1955 के अंतर्गत न्यायिक पृथकरण एवं विवाह विच्छेद का आधार भी है।

यद्यपि विशिष्ट सामाजिक और शारीरिक स्थिति का देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए तथा उनके विरूद्ध हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए समय–समय पर कठोर कानून बनाये गये है, लेकिन विविध कारणों से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और अपराध थमे नहीं है।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं के विरूद्ध क्रूरता संबंधी विभिन्न अपराध

1. 304 ख दहेज मृत्यु,
2. 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण
3. 312 से 318 गर्भपात संबंधी अपराध
4. 313 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला
5. 354 क से घ तक लैंगिक उत्पीड़न
6. 294 अश्लील कार्य और गाने
7. 359 से 366 व्यपहरण और अपहरण संबंधी अपराध
8. 370 व्यक्ति का दुर्व्यापार
9. 372 वेश्यावृत्ति संबंधी
10. 375 से 376 बलात्संग एवं दांडित प्रावधान
11. 493 से 498 तक विवाह संबंधी अपराध
12. 498 ए स्त्री के प्रति पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता

354 क से घ लैंगिक उत्पीड़न के लिए दांडिक प्रावधान– ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात शारीरिक संपर्क स्थापित करने और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव शामिल हैं एवं लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने या किसी स्त्री की इच्छा के विरूद्ध बलात, अश्लील साहित्य दिखाने या लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने वाला पुरूष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

– महिला का निवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
– दृश्यरतिकता जिसमें महिला के द्वारा इस विश्वास के साथ कोई प्रायवेट कृत्य किया जाता है कि कोई उसकी एकान्तता के अधिकार का हनन नहीं करेगा।
– महिला का पीछा करना किसी पुरूष द्वारा उसकी इच्छा के विरूद्ध
– लैंगिक उत्पीड़न मे महिला के विरूद्ध शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता शामिल है

304 ख दहेज मृत्यु – भारत में दहेज एक ऐसी बुराई है जिसके कारण महिलाओं का शोषण होता हैं और नववधुओं को मृत्यु का वरण करना पड़ता हैं। दहेज मृत्यु एक ऐसा अपराध है जो घर के भीतर ही किया जाता हैं और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जो यह छाप डालता है की वह आत्मघाती मृत्यु थी। अतः भारतीय दंड सहिता की धारा 304 ख का अधिनियमन इसी अपराध के उन्मुलन के लिए किया गया। (विजय पाल सिंह एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य ए.आय. आर.2015 सु.को.684 के मामले में उच्चतम न्यायालय में अभिकथन किया की जहां किसी विवाहिता महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के अंदर की गई हो, अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई हो परंतु यह स्पष्ट संकेत मिलते हो की ऐसी मृत्यु हत्याकारित करके की गई हो तो अभियोजन तथा न्यायालय दोनों का प्रथम प्रयास यह होना चाहिए की हत्या किसने कारित की है ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि दंड संहिता की दहेज मृत्यु संबंधी धारा 304 ख को धारा 302 हत्या का प्रतिस्थापन नहीं माना जाना चाहिए)

375 से 376 बलात्संग एवं दांडित प्रावधान – किसी महिला या लड़की के साथ उसकी सहमति के बिना जोर जबरदस्ती या उसे डरा धमकाकर या धोखे में रखकर इंन्द्रिय संभोग करना।

376ए–पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशाकारित करने के लिए दंड।
376बी–पति द्वारा अपनी पत्नि के साथ पृथककरण के दौरान मैथुन।
376सी–प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।
376डी–सामूहिक बलात्संग।
376ई– पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।

निर्भया सामूहिक बलात्संग कांड दिनांक 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में घटित विभत्सनीय कृत्य के तत्काल पश्चात बलात्संग के अपराध के प्रति गंभीरता बरतते हुए दिनांक 3 फरवरी 2013 को एक अध्यादेश पारित कर बलात्संग संबंधी अपराध के दांडित प्रावधान को अधिक कठोरतम बना दिया गया है।

जर्नलिस्ट बनाम हरियाणा राज्य ए.आय.आर.2013 सु.को. 3467

उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य ए.आय.आर. 2016 सु.को.358 की रिट याचिका द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अनुरोध किया गया था कि अबोध शिशु बालिकाओं के प्रति निरन्तर बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए धारा 376 के बलात्कार के अपराध के संदर्भ में शिशु को नये सिरे से परिभाषित किये जाने की आवश्यकता हैं ताकि ऐसे निकृष्ट अपराधियों को कठोरतम दंड से दंडित किया जा सके।

साक्षी बनाम भारत संघ तथा अन्य आदि। ऐसे अनेक बलात्संग मामलों से स्पष्ट हैं कि महिला के विरूद्ध शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता शामिल है।

निष्कर्ष–

अत स्पष्ट हैं कि महिला के विरूद्ध किये गये अपराधों में क्रूरता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाविष्ट होती है फिर चाहे अपराध मारपीट, चोट, बलात्संग, व्यपरण, अपहरण, गर्भपात, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, दहेज की मांग आदि किसी भी प्रकार का अपराध हो।

संदर्भ ग्रंथसूची–

1. भारतीय दंड संहिता, डॉ.एन,वी,पंराजपे, अ ठम संस्करण 2016.
2. भारतीय दंड संहिता, मुरलीधर चतुर्वेदी,पंचम संस्करण 1996.
3. घरेलु हिंसा महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005.
4. महिला एवं बाल कानून, बाबेल, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी.

डॉ.मीना वागडे
सहायक प्राध्यापक शासकीय विधि महाविद्यालय देवास म.प्र.